GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

RBE No. 62/2017

No. E(NG)II/2017/RC-2/1 Policy **New Delhi, dated : 28.06.2017**

The General Manager (P),
All Zonal Railways/PUs.,
Chairmen/RRBs.

Sub: Recruitment of Persons with Disabilities from open market on the Railways- Instructions- regarding.

Ref:-

i. Board's letter No. E(NG)II/98/RC-2/8 dated 17.09.1998 & E(NG)II/2015/RC-2/2 dated 16.09.2015.
ii. No. E(NG)II/2011/RC-2/6 dated 21.08.2013
iii. No. E(NG)II/2006/RC-2/13 dated 19.12.2013.
iv. No. E(NG)II/2014/RC-2/1List dated 14.02.2014. & E(NG)II/2014/RC-2/1 List pt. dated 30.03.2015 & 22.07.2016,
v. No. E(NG)II/2009/RC-2/14 dated 24.06.2014.
vi. No. E(NG)II/2009/RR-1/10 Pt. dated 17.06.2016.

****

With a view to consolidate the existing instructions concerning the subject of recruitment of persons with disabilities (PWDs) from open market and bringing them in line with the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995 and the guidelines issue by the nodal departments of Government of India, the following instructions are issued with regard to reservation for PWDs in various non-Gazetted posts on the Railways. These instructions shall supersede all previous instructions issued on the subject so far except those under reference.

2. All recruitment from open market in non-Gazetted categories against vacancies reserved for physically handicapped quota will be undertaken by Railway Recruitment Boards and Railway Recruitment cell respectively, through a common examination. Vacancies reserved for PWDs of Production Units and other organizations falling within the territorial jurisdiction of the Zonal Railway will be clubbed together for the purpose of recruitment.

3. Horizontality of reservation for PWDs: Reservation for SCs/STs/OBCs is called vertical reservation and the reservation for PWDs is called horizontal reservation. Horizontal reservation cuts across vertical reservation (interlocking reservation) and persons selected against quota for PWDs, have to be placed in the appropriate category, viz., SCs/STs/OBCs/UR, depending upon the category to which they belong in the roster meant for reservation of SCs/STs/OBCs. To illustrate, if in a given year there are two vacancies reserved for the PWDs and out of two PWDs appointed, one belongs to a Scheduled Caste and the other to general category then the disabled SC candidate shall be adjusted against the SC point in the reservation roster and the general candidate against unreserved point in the relevant reservation roster. In case none of the vacancies falls on point reserved for the SCs, the disabled candidate belonging to SC shall be adjusted in future against the next available vacancy reserved for SCs.

4. **Quantum of reservation:** 3% of the vacancies in case of direct recruitment to non-Gazetted posts are to be reserved for PWDs of which 1% each are to be reserved for persons suffering from I(i) blindness or low vision I(ii) hearing impairment (iii) locomotor disability or cerebral palsy in the post identified for each disability. Only such persons would be eligible for reservation who suffers from not less than 40% of relevant disability. Even while considering the case of candidate with multiple disability, the clause of *'not less than 40% of relevant disability'* has to be kept in view.

5. Definition of Disabilities:

(i) (a)**Blindness:** "Blindness" refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely:- (i) total absence of sight; or
(ii) visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200(snellen) in the better eye with correcting lenses; or
(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse;

(b) **Low vision:** "Person with low vision" means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device.

(ii) **Hearing Impairment:**- "Hearing Impairment" means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. Hearing Impairment would also include persons who are deaf & dumb.

(iii) (a) **Locomotor disability:** "Locomotor disability" means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.

(b) **Cerebral Palsy :-**. "Cerebral Palsy" means a group of non-progressive conditions of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the prenatal, peri-natal or infant period of development.

(a) All the cases of orthopedically handicapped persons would be covered under the category of "loco motor disability or cerebral palsy."

6. **Disability Certificate:** Board's instructions as contained in letter as referred at S.No. (iii) above be followed.

7. **List of posts identified for PWDs:** A consolidated list of posts have been identified suitable for PWDs and are contained in instructions issued vide S.No. (iv) of the reference.

8. **Reservation in posts identified for one or two categories:** If a post is identified suitable only for one category of disability, reservation for that post are to be given to persons with that disability only. Reservation of 3% shall not be reduced in such cases and total reservation in the post will be given to persons suffering from the disability for which it has been identified. Likewise in case the post is identified suitable for two categories of disabilities, reservation shall be distributed between persons with those categories of disabilities equally, as far as possible. It shall, however, be ensured that reservation in different posts in the establishment is

distributed in such a way that the persons of three categories of disabilities, as far as possible, get equal representation.

9. **Appointment against unreserved vacancies:** In the posts identified suitable for PWDs, a person with disability cannot be denied the right to compete for appointment against unreserved vacancy. In other words, PWD can be appointed against an unreserved vacancy provided the post is identified suitable for PWD of the relevant category. However, this provision will not apply in the recruitment exercise to posts, where Physical Efficiency Test (PET) is a part of examination process as PWDs are exempted from PET.

10. **Adjustment of candidates selected on their own merit:** PWDs selected on their own merit without relaxed standards along with other candidates will not be adjusted against the reserved share of vacancies. [**Note:** Own Merit means that candidates coming at par or above the unreserved (UR) merit cut off marks].

11. **Computation of reservation:** Reservation for PWDs in case of non-Gazetted posts are to be computed on the basis of total number of vacancies occurring in all non-Gazetted posts, as the case may be, although recruitment of PWDs would only be in the posts identified suitable for them.

12. **Effecting reservation- Maintenance of Rosters:** Railway administrations shall maintain separate 100 point reservation roster register in the format prescribed for various groups separately. Each register shall have cycles of 100 points and each cycle of 100 points shall be divided into three blocks-

(i) 1st block – Point number 1 to 33, (ii) 2nd block - Point no. 34 to 66, and (iii) 3rd block- Point No. 67 to100. Points 1, 34 and 67 of the roster shall be earmarked reserved for PWDs – one point for each of the three categories of disabilities.

13. **Inter se exchange and carry forward of reservation:** (a) If the nature of disabilities in an establishment is such that a person of a specific category of disability cannot be employed, the vacancies may be interchanged among the three categories.

(b) If any vacancy reserved for any category of disability cannot be filled due to non- availability of a suitable person or for any other sufficient reason, such vacancy shall not be filled and shall be carried forward as a 'backlog reserved vacancy' to the subsequent recruitment year.

(c) In the subsequent recruitment year, that 'backlog reserved vacancy' shall be treated as reserved for the category of disability for which, it was kept reserved in the initial year of recruitment. However, if a suitable person with that disability is not available, it may be filled by interchange among the three categories of disability. In case, no suitable person with disability is available in the subsequent year also, the Railway administration may fill up the vacancy by appointment of a person other than a PWD. In such cases, reservation shall be carried forward for a further period up to two recruitment years where after the reservation shall lapse.

(d) Any recruitment of disabled candidate shall first be counted against the additional quota brought forward from previous years, if any, in their chronological order. If candidates are not available for all the vacancies, the older carried forward reservation would be filled first and the relatively later carried forward reservation would be further carried forward.

14. Relaxation of standard for suitability: If sufficient number of persons with disabilities are not available on the basis of general standard to fill all the vacancies reserved for them, PWD candidates may be selected on relaxed standards provided that they are not found unfit for such posts. For this purpose, 02 (two) marks below the minimum qualifying marks for each category, viz., UR/OBC/SC/ST be given a relaxation in the standard of suitability to PWDs in all recruitment from open market, in case full panel for PWDs cannot be made with the existing cut offs, as applicable.

15. Medical Examination: Irrespective of the fact that the post is reserved or unreserved, medical examination of the PWD for appointment for a post identified suitable to be held by the PWD should be done keeping in mind the disability of the candidate. In other words, in case of medical examination of a PWD candidate for appointment to a post identified suitable to be held by person of a particular disability, the medical officer/Board should be informed beforehand that the post is identified suitable to be held by PWD with relevant category and the candidate be then examined medically, keeping this fact in view.

16. Relaxations & Concessions:

a) Age relaxation:- (i) Age relaxation of 10 years (15 years for SC/ST and 13 years for OBC candidates) in upper age limit shall be allowed to PWDs in case of direct recruitment in the posts identified suitable for them, subject to the condition that maximum age of the applicant on the crucial date shall not exceed 56 years.

(ii) This age concession shall be admissible irrespective of the fact, whether the post is reserved for PWDs or not, provided the post is identified suitable for the relevant category of disability.

(iii) If a PWD is entitled to age concession by virtue of being a Central Government employee, concessions to him/her will be admissible either as a PWD or as a Central Government employee, whichever is more beneficial to him/her.

b) **Examination fee:-** PWDs shall be exempted from payment of examination fee and application fee. However, the clause of this exemption should be dealt in terms of stipulation made vide Board's letter issued under RBE No. 69/2016 dated 17.06.2016.

c) **Typewriting Test:** PWDs who are otherwise qualified to hold clerical posts and who are certified as being unable to type by the Medical Board attached to Special Employment Exchanges for them(or by a Civil Surgeon where there is no Medical Board) may be exempted from passing the typing test.

17. **Vacancy Notification:** Posts identified suitable for PWDs should be notified as per the sub-category of disability, viz., LV, B,OL,OA,OAL etc. and the nature of work to be performed for a post may also be clearly mentioned in the employment notices.

18. **Conduct of examination:** Examination centers for PWDs be chosen and designated in such a way that they are disabled friendly having the facilities of ramp etc. Seating arrangement for such candidates in general and for Visually Handicapped (VH) candidates in particular may preferably be made on the ground floor of such centers. Besides, seating arrangement for VH candidate may be made in such a way that only five or six candidates in a room i.e. one candidate in each corner and one or two in the center of the room, can be accommodated.

18.1. PWD candidates with one arm/muscular weakness and Visually impaired Candidates/those candidates whose writing speed is affected by Cerebral palsy can avail the assistance of a **Scribe** for writing answers on their behalf. For this purpose they will have to suitably inform the recruiting agency in advance. In all such cases, engagement of scribes will be subject to the following conditions:-

(a) The candidates will have to arrange their own scribes at their own cost during the examination. Separate Admit Cards be issued to the scribes accompanying the visually handicapped candidates. Admit card should contain the particulars and photograph of the scribe duly signed by him/her. The invigilators on duty will verify the identity of scribe with photo & particulars printed on Admit card issued to scribe.

(b) Criteria like academic/educational qualification, marks secured, age or other such restrictions for the scribes should not be fixed and instead, the invigilation system should be strengthened so that the candidates using scribes do not indulge in malpractices during examination.

(c) The candidates may be allowed to change the scribe even on the day of examination and also on venue by placing suitable request in writing with the recruiting body subject to completion of necessary formalities for the purpose.

(d) The candidate availing the facility of scribe, shall be responsible for any misconduct on the part of scribe brought by him/her.

(e) Candidates availing the assistance of a scribe shall be eligible for compensatory time of not less than 20 minutes per hour of the examination.

18.2. The candidates opting to avail the assistance of scribes be accommodated at one examination venue of the designated examination centers. The scribe will read out the questions to the candidates and on the candidate stating clearly answer against each question, the scribe will write/indicate the same. An invigilator shall exclusively be posted with every such candidate who have opted to avail the assistance of a scribe. The invigilator shall have to sit along side the scribe who will sit opposite such candidate so that conversation between the scribe and the candidate could be overheard by the invigilator who shall ensure that only the answers spelt out by the candidate are written/indicated by the scribe on the medium used to answer.

18.3. The invigilator will ensure that the scribe makes no gesture, sounds or any other forms of communication designed to indicate to the candidate the correctness or otherwise of an answer being recorded by him. Any such attempt would entail disqualification of candidate and

stringent action will be taken against both the candidate and the scribe. Conversation between the candidate and the scribe should not disturb in any way the peace in the examination hall or the other candidates seated in the examination hall/room.

18.4. The VH candidates may be allowed to use TAILOR FRAME AND BRAIL SLATE WITH PAPER for solving arithmetic problems and they will have to bring their own TAILOR FRAME AND BRAIL SLATE WITH PAPER in the examination hall. Partially blind candidates who are able to read/view normal Question Paper set for all the candidates and to write/indicate the answer with the help of Magnifying Glass may be allowed to use Magnifying Glass in the examination hall but they shall not be allowed the help of a SCRIBE. Such candidates may bring their own Magnifying Glass in the examination hall. However, they shall not be provided with the Question Paper meant for VH candidates who require the assistance of a scribe. All one eyed candidates and VH candidates whose visual degree of disability is less than 40% shall not be considered as VH persons and the provision for engaging scribe shall not be applicable to them.

18.5. Question paper for VH candidates will not have any component of map/graphs/statistical data or diagrams/figures/geometrical problems etc. As regards requirement of Disability Certificate, instructions contained in Board's letter under reference (ii) be followed.

19. Medical Examination: While sending the PWDs for medical examination, (i) the recruiting department has to issue Medical memos mentioning the department, the category of post (group C or erstwhile Group D) along with their Grade Pay and level in the Pay Matrix and category of disability required to be examined like OL, OA, BL, OAL, OH, BH, HH,BL, LV, MW etc. Medical categories like A1, A2 etc. should NOT be mentioned on this memo. (ii) The examining Doctor will issue certificate to the effect that candidate is fit under handicapped quota under OL, OA, BL, OAL, OH.... etc. This certificate will not and cannot mention any medical category like A1/A2 etc.

20. There may arise a situation where PWD candidate appointed to a post directly connected with train operations/running of train, may not be able to perform his/her duties efficiently or it is a risk to his/her life and those of the passengers, in such a situation General Manager at their own discretion (not to be delegated further) may change the category of such candidates taking the views of the Medical Department, wherever required. While doing so the pay scale and other service benefits should not be affected adversely.

21. Liasion Officer for PWDs: Liaison Officers appointed to look after reservation matters for SCs/STs shall also work as Liaison Officers for reservation matters relating to persons with disabilities and shall ensure compliance of these instructions.

22. While conducting recruitment exercise from open market, in addition to the Employment Notices being supplied to the Employment Exchanges, Special Employment Exchanges, Vocational Rehabilitation Centers & National level Rehabilitation Institutes, such notices are also to be published in Employment News. Further, recruiting agencies whether RRBs/RRCs/Railway Administrations shall also get the Employment Notices/Advertisements

uploaded on the websites of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Department of Personnel and Training, Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities and any other Ministry/Department as deemed necessary through NIC or other means for information of all concerned. This will be in addition to, hoisting the same on the websites of the recruiting agencies concerned.

Please acknowledge receipt.

(Neeraj Kumar)
Director Estt.(N)-II
Railway Board

No. E(NG)II/2017/RC-2/1 Policy **New Delhi, dated 28.06.2017**

Copy to:

(i) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
(ii) The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
(iii) All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
(iv) The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Board (5 spares).
(v) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
(vi) The President, Railway Board Class II Officers' Association.
(vii) The Secretary General, IRPOF.
(viii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
(ix) The Secretary, Railways Board Ministerial Staff Association.
(x) The General Secretary, AIRPF Association.
(xi) The General Secretary, All India SC& ST Railway Employees Association, Room No-7, Rail Bhawan, New Delhi.
(xii) Chief Commissioner for Railway Safety, Lucknow.
(xiii) Chief Administrative Officer, RCF/Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7

For Secretary/Railway Board

Copy to: **PSs to MR, MOS(S) & MOS(G).**
Copy to: **PSO/Sr.PPS/PPSs/PSs/PA to:**
CRB, FC, MS, MS(RS), ME, M(Tr.), MT, Secretary/ Rly. Bd., DG(Pers.), DG(S&T), DG(RS), DG/RHS, DG/RPF, DG(PR).

AM(Comml), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elect), AM(Budget), AM(E), AM(Plg), AM(PU), AM(Tele), AM(Sig), AM(Store), AM(T), AM(Works), AM(F), Adv(Vig.), AM(Staff), Adv(Infra), Adv(C), Adv(Project), Adv. (T&MPP), Adv. (Health), Adv. (Safety), Adv. (Transformation).

EDE(N), EDCE(G), EDF(E), ED(Safety), EDV(A), EDE(RRB), EDE(Sports), ED(E&R), EDE(GC), ED(IR), EDE(Res), EDH(G), EDE, EDPC-I, EDPC-II, EDF(BC), ED (ERP), Chairman/HRRC, JS, JS(G), JS(E), JS(C), DE(W), DE(Res.), Dir. (MPP), DE(G), DE(GP), DE(LL), JDF(E), JDE(N), JDE(Rep), DDF(E)-I, DDF(E)-III, DDE (R)-II, DDE (LR)-I&II, E(P&A)I&II, E(G), E(NG)I, E(Trg), E(MPP), F(E)-I, F(E)-II, A/C-III, ERB-I, ERB-II, ERB-III, ERB-IV, ERB-V & ERB-VI, E(Rep)I, E(Rep)-II & E(Rep)-III, E(Sports), Security(E), FE(Spl), E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V & PC-VI, E(SCT)I & E(SCT)-II, E(GR) I & E(GR)-II, E(GC), E(GP), E(Welfare)-I, II & III, E(D&A), E(Co-op), Code Revision Cell/ Branches of Railway Board.

****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 62/2017

सं. ई(एनजी)II/2017/आरसी-2/1 पॉलिसी   नई दिल्ली, दिनांक 28.06.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
अध्यक्ष/रेल भर्ती बोर्ड

विषय: रेलवे में ओपन मार्केट से नि:शक्त उम्मीदवारों की भर्ती करने से संबंधित अनुदेश।

संदर्भ:-

i. बोर्ड का दिनांक 17.09.1998 का पत्र सं. ई(एनजी)II/98/आरसी-2/8 एवं दिनांक 16.09.2015 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2015/आरसी-2/2
ii. दिनांक 21.08.2013 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2011/आरसी-2/6
iii. दिनांक 19.12.2013 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2006/आरसी-2/13
iv. दिनांक 14.02.2014 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2014/आरसी-2/1 लिस्ट, दिनांक 30.03.2015 एवं 22.07.2016 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2014/आरसी-2/1 लिस्ट पार्ट
v. दिनांक 24.06.2014 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2009/आरसी-2/14
vi. दिनांक 17.06.2016 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2009/आरआर-1/10 पार्ट

******

ओपन मार्केट से नि:शक्त उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूडी) की भर्ती विषय से संबंधित मौजूदा अनुदेशों को समेकित करने तथा इन्हें विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुरूप लाने तथा भारत सरकार के नोडल विभागों द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों की दृष्टि से रेलों पर विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं। यह अनुदेश संदर्भाधीन पत्रों को छोड़कर, इस विषय पर अब तक जारी किए गए पिछले सभी अनुदेशों के स्थान पर इनको लागू किया जाएगा।

2. शारीरिक रूप से विकलांग कोटा के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अराजपत्रित कोटियों में ओपन मार्केट से सभी भर्तियाँ क्रमश: रेलवे भर्ती बोर्डों तथा रेलवे भर्ती सेलों द्वारा एक सामान्य परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी। उत्पादन इकाइयों तथा क्षेत्रीय रेलों के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी संगठनों में नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भर्ती के प्रयोजन के लिए एक साथ मिला दिया जाएगा।

3. नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है और नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण कहा जाता है। हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते हैं (जिसे इन्टरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है) और नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटे में चुने गए व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातिओं/अन्य पिछड़ा

वर्गों के आरक्षण के लिए बनाए गए रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी दिए गए वर्ष में निःशक्त उम्मीदवारों के लिए दो रिक्तियां आरक्षित हैं और नियुक्त किए गए दो निःशक्त उम्मीदवारों में से एक अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के निःशक्त उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित किया जाएगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा जाएगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती तो अनुसूचित जाति का निःशक्त उम्मीदवार, भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा।

4. आरक्षण की मात्राः अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के मामले में 3% रिक्तियाँ निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी जानी है जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियाँ (i) नेत्रहीनता अथवा कम दृष्टि (ii) बधिरता (iii) चलने-फिरने की निःशक्तता अथवा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिह्नित पदों पर आरक्षित की जानी है। आरक्षण के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जो कम-से-कम 40% संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। बहु निःशक्तता वाले उम्मीदवारों के मामले पर विचार करते हुए भी संबंधित निःशक्तता के 40% से कम न हो' की शर्त को ध्यान में रखा जाएगा।

5. निःशक्तता की परिभाषाः

(i) (क) अंधापनः "अंधापन" का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रसित होता है अर्थात्:- पूरी तरह से नज़र खराब होना; अथवा

(ii) बेहतर आँख में दृष्टि सुधारने वाले लैंसों के साथ दृष्टि-की तीक्ष्णता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलैन) से अधिक न हो; अथवा

(iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो अथवा इससे बदतर;

(ख) कम दृष्टिः "कम दृष्टि वाला व्यक्ति" का आशय ऐसा व्यक्ति है जिसकी दृष्टिक-क्रिया उपचार के अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बाद भी खराब हो परन्तु जो समुचित सहायक यंत्र से किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में संभावनीय रूप से समर्थ हो।

(ii) कम सुनाई देने की निःशक्तताः "कम सुनाई देने की निःशक्तता" का अभिप्राय बेहतर कान में बातचीत के लिए सुनने की रेंज में साठ डेसिबल अथवा इससे अधिक की कमी होना। कम सुनाई देने की निःशक्तता में मूक एवं बधिर व्यक्ति भी शामिल होंगे।

(iii) चलने-फिरने की निःशक्तताः "चलने-फिरने की निःशक्तता" का अभिप्राय हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों की निःशक्तता अथवा किसी भी तरह का सेरेब्रल पालसी जिससे अंगों के हिलने-डुलने में अत्यधिक कठिनाई हेती है।

(ख) सेरेब्रल पालसी:- "सेरेब्रल पालसी" का अभिप्राय किसी व्यक्ति का विकास न होने से है जो, जन्म से पूर्व, जन्म के एकदम बाद अथवा विकास की आरंभिक अवधि में घटित मस्तिष्क-आघात अथवा चोटों के परिणामस्वरूप जो सामान्य रूप से न चल पाता हो।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के सभी मामले, "चलने-फिरने की निःशक्तता अथवा सेरेब्रल पालसी" की कोटि के अंतर्गत आएँगे।

6. निःशक्तता प्रमाणपत्र : ऊपर क्रम सं. (iii) में यथा संदर्भित पत्र में यथा निहित बोर्ड के अनुदेशों का पालन किया जाए।

7. निःशक्त उम्मीदवारों के लिए चिह्नित पदों की सूची: निःशक्त उम्मीदवारों के लिए पदों की एक समेकित सूची उपयुक्त रूप से चिह्नित की गई है जिसमें संदर्भित क्रम सं. (iv) के तहत जारी अनुदेश निहित हैं।

8. एक अथवा दो श्रेणियों के लिए चिह्नित पदों में आरक्षण: यदि कोई पद निःशक्तता की एक कोटि के लिए ही उपयुक्त रूप से चिह्नित हो तो उस पद पर आरक्षण उस निःशक्तता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में 3% का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण, उस निःशक्तता से ग्रस्त उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसके लिए चिह्नित किया गया हो। इसी तरह, किसी पद को निःशक्तता की दो कोटियों के लिए उपयुक्त रूप से चिह्नित किए जाने पर, जहाँ तक संभव हो, आरक्षण निःशक्तता की उन दोनों कोटियों के व्यक्तियों के बीच समान रूप से दिया जाए। बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संगठन में विभिन्न पदों पर आरक्षण इस प्रकार दिया जाए कि निःशक्तता की तीनों कोटियों के व्यक्तियों को यथासंभव समान प्रतिनिधित्व मिले।

9. अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति: निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिह्नित पदों पर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्द्धा करने से मना नहीं किया जा सकता। इस तरह, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत कोटि के निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिह्नित हो। बहरहाल यह प्रावधान ऐसे पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होगा, जहाँ शारीरिक कुशलता परीक्षा (पीईटी) परीक्षा प्रक्रिया परीक्षा का एक भाग है, क्योंकि निःशक्त उम्मीदवारों को पीईटी से छूट-प्राप्त है.

10. अपने मैरिट के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों का समायोजन: मानकों में कोई छूट दिए बिना अपने मैरिट के आधार पर चुने गए निःशक्त उम्मीदवार साथ ही अन्य उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्त पदों पर समायोजित नहीं किया जाएगा।
[नोट: अपने मैरिट का तात्पर्य यह है कि उम्मीदवारों ने अनारक्षित (यूआर) मैरिट कट ऑफ अंक के बराबर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों]

11. **आरक्षण की गणना:** अराजपत्रित पदों के मामले में नि:शक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की गणना सभी अराजपत्रित पदों में हो रही रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जाएगी, जैसा भी मामला हो, यद्यपि नि:शक्त उम्मीदवारों की भर्ती उनके लिए उपयुक्त चिह्नित पदों पर ही की जाएगी।

12. **आरक्षण लागू करना- रोस्टरों का रखरखाव:** रेलवे प्रशासन विभिन्न समूहों के लिए निर्धारित फॉर्मेट में अलग से 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर रजिस्टर बनाएगा। प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र तीन ब्लॉक में बाँटा जाएगा जिसमें निम्नलिखित बिंदु होंगे:-

(i) प्रथम ब्लॉक बिंदु सं. 1 से 33 (ii) द्वितीय ब्लॉक - बिंदु सं. 34 से 66 (iii) तृतीय ब्लॉक - बिंदु सं. 67 से 100. रोस्टर के 1, 34 और 67 संख्या के बिन्दु नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए निर्धारित होंगे जिनमें से नि:शक्तता की तीनों कोटियों के लिए एक-एक बिन्दु होगा।

13. **सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की आपसी अदला-बदली और अग्रेनीत किया जाना:** (क) यदि किसी संगठन में नि:शक्तता का स्वरूप इस प्रकार है कि नि:शक्तता की किसी विशिष्ट कोटि के उम्मीदवार को नियोजित नहीं किया जा सकता तो इन तीनों कोटियों में रिक्तियों की आपसी अदला-बदली की जा सकती है।

(ख) यदि नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों की किसी कोटि के लिए आरक्षित रिक्त पद पर, उस नि:शक्तता वाले उपयुक्त उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण अथवा किसी अन्य यथेष्ट कारणवश न भरा जा सके तो इस प्रकार के रिक्त पद को भरा नहीं जाएगा और उसे अगले भर्ती वर्ष के लिए 'पिछली बकाया आरक्षित रिक्ति' के रूप में अग्रेनीत कर दिया जाएगा।

(ग) अगले भर्ती वर्ष में 'पिछली बकाया आरक्षित रिक्ति' को, नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों की उसी कोटि के लिए आरक्षित माना जाएगा जिसके लिए भर्ती के आरंभिक वर्ष में इसे आरक्षित किया गया था। बहरहाल, यदि नि:शक्तता से ग्रस्त कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो इसे नि:शक्तता की तीन कोटियों के बीच अदला-बदली करके भरा जाएगा। यदि अगले वर्ष में भी पद को भरने के लिए नि:शक्तता से ग्रस्त कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो रेल प्रशासन, नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवार से इतर किसी अन्य उम्मीदवार की नियुक्ति करके रिक्त पद को भर सकता है। ऐसे मामलों में आरक्षण दो भर्ती वर्षों तक की आगे की अवधि के लिए अग्रेणीत हो जाएगा तथा इसके पश्चात् आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

(घ) नि:शक्त उम्मीदवार की किसी भर्ती की गणना पिछले वर्षों से अग्रेनीत अतिरिक्त कोटा, यदि कोई हो, के लिए उनके क्रमानुसार की जाएगी। यदि सभी रिक्त पदों के लिए कोई उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो पिछले अग्रेनीत आरक्षण को पहले भरा जाएगा और अपेक्षाकृत बाद में अग्रेनीत किए गए आरक्षण को आगे ले जाया जाएगा।

14. उपयुक्तता के लिए मानकों में छूट: यदि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य मानकों के आधार पर पर्याप्त संख्या में निःशक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो मानकों में ढील देकर निःशक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाए बशर्ते कि वे ऐसे पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। इस प्रयोजन के लिए यदि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को यथा लागू मौजूदा कट ऑफ्स के आधार पर नहीं भरा जा सका तो ओपन मार्केट से सभी भर्ती में निःशक्त उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मानकों में प्रत्येक कोटि अर्थात अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों से 02 (दो) अंक कम करके छूट दी जाए।

15. मेडिकल जांच: इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि पद आरक्षित अथवा अनारक्षित है निःशक्त उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए चिह्नित उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए निःशक्त उम्मीदवार की मेडिकल जांच उम्मीदवार की निःशक्तता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी विशिष्ट निःशक्तता वाले उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाले चिह्नित किए गए उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए निःशक्त उम्मीदवार की मेडिकल जांच के मामले में, मेडिकल अधिकारी/बोर्ड को पहले ही यह सूचित किया जाना चाहिए कि यह पद संबंधित कोटि के निःशक्त उम्मीदवार द्वारा भरा जाना है और इस बात को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार की मेडिकल जांच की जानी चाहिए।

16. छूट एवं रियायत:

क) आयु सीमा में छूट: (i) सीधी भर्ती के मामले में चिह्नित किए गए उपयुक्त पदों पर निःशक्त उम्मीदवारों को अधिकतम आयु-सीमा में 10 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष) की आयु में छूट अनुमेय होगी बशर्ते कि निर्णायक तारीख को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्षों से अधिक न हो।

(ii) इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पद निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है अथवा नहीं आयु संबंधी रियायत दी जाएगी बशर्ते कि पद निःशक्तता की संगत कोटि के लिए उपयुक्त रूप से चिह्नित किया गया हो।

(iii) यदि निःशक्त उम्मीदवार केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने के नाते आयु सीमा में रियायत का पात्र है तो उन्हें निःशक्त उम्मीदवार अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारी के रूप में, जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, उसे आयु सीमा में रियायत अनुमेय होगी।

ख) परीक्षा शुल्क:- निःशक्त उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क तथा आवेदन-पत्र शुल्क के भुगतान से छूट होगी। बहरहाल, इस छूट के खंड को बोर्ड के दिनांक 17.06.2016 के आरबीई सं. 69/2016 के अंतर्गत जारी पत्र के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

ग) टंकण परीक्षा: ऐसे निःशक्त उम्मीदवार जो अन्यथा लिपिकीय पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य हों और जो उनके लिए बनाए गए विशेष रोजगार कार्यालयों से जुड़े चिकित्सा बोर्ड (अथवा सिविल सर्जन द्वारा जहां कोई चिकित्सा बोर्ड न हो) द्वारा टंकण के लिए अयोग्य घोषित किए गए हों, उन्हें टंकण परीक्षा को पास करने में छूट दी जाएगी।

17. रिक्ति अधिसूचना: निःशक्त उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त समझे गए पदों को विकलांगता की उप-कोटि जैसे एलवी, बी, ओएल, ओए, ओएएल, आदि के अनुसार अधिसूचित किया जाना चाहिए तथा उस पद से संबंधित कार्य की प्रकृति का भी रोज़गार सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

18. परीक्षा का संचालन: निःशक्त उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केन्द्रों को इस प्रकार से चुना जाए कि वे निःशक्त उम्मीदवारों की जरूरतों के अनुरूप हों जिनमें रैम्प आदि की सुविधाएं हों। सामान्यतः ऐसे उम्मीदवारों के लिए और खासतौर पर नेत्र की दृष्टि से विकलांग (वी एच) उम्मीदवारों के लिए बैठने की व्यवस्था ऐसे केन्द्रों के भूतल पर करने की प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त, नेत्रहीन उम्मीदवार के लिए बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि एक कमरे में सिर्फ पाँच या छः उम्मीदवारों अर्थात कमरे के प्रत्येक कोने में एक उम्मीदवार और बीच में एक या दो उम्मीदवार को बिठाया जा सके।

18.1 एक हाथ/मांसपेशियों की कमजोरी वाले निःशक्त उम्मीदवारों और नेत्रहीन उम्मीदवारों/वे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पालसी से प्रभावित है, अपनी ओर से लिखित उत्तरों के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए उन्हें अग्रिम में भर्ती एजेंसी को उपयुक्त रूप से सूचना देनी होगी। ऐसे सभी मामलों में स्क्राइबों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जाएगी:

(क) परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को अपनी लागत पर अपने स्क्राइबों की व्यवस्था करनी होगी। नेत्रहीन उम्मीदवारों के साथ आए स्क्राइबों को अलग से प्रवेश पत्र जारी किए जाएँ। प्रवेश पत्र में स्क्राइब का विधिवत रूप से हस्ताक्षरित विवरण और फोटोग्राफ होना चाहिए। ड्यूटी पर तैनात इंविजिलेटर, स्क्राइब को जारी किए गए प्रवेश पत्र पर फोटो एवं मुद्रित विवरणों से स्क्राइब की पहचान सत्यापित करेंगे।

(ख) स्क्राइबों के लिए मानदंड जैसे शैक्षिक अर्हता, प्राप्त अंक, आयु या अन्य प्रतिबंध न रखे जाएँ इसके बजाय निरीक्षण प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि स्क्राइबों का इस्तेमाल कर रहे उम्मीदवार परीक्षा के दौरान कदाचार में लिप्त न हो।

(ग) उम्मीदवारों को भर्ती करने वाले निकाय के समक्ष लिखित में उपयुक्त अनुरोध करते हुये परीक्षा के दिन और परीक्षा स्थल पर भी इस प्रयोजन से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने पर स्क्राइब बदलने की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) स्क्राइब की सुविधा का प्रयोग कर रहे उम्मीदवार, उनके द्वारा लाये गए स्क्राइब के किसी दुराचार के जिम्मेदार होंगे।

(च) स्क्राइब की सहायता ले रहे उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के अतिरिक्त समय के लिए पात्र होंगे।

18.2 स्क्राइब की सहायता लेने हेतु विकल्प देने वाले नेत्रहीन उम्मीदवारों को नामित परीक्षा केन्द्रों में से एक परीक्षा स्थान में समायोजित किया जाए। स्क्राइब उम्मीदवारों को प्रश्न पढ़कर सुनाएगा और उम्मीदवारों के प्रत्येक प्रश्न के स्पष्ट उत्तर देने पर, स्क्राइब उसे लिखेगा/इंगित करेगा। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने स्क्राइब की मदद लेने के लिए विकल्प दिया हो के लिए अनन्य रूप से एक इंविजिलेटर की व्यवस्था की जाएगी। इंविजिलेटर को स्क्राइब के बगल में बैठना होगा जो ऐसे उम्मीदवार के सामने बैठेगा ताकि उम्मीदवार और स्क्राइब के बीच वार्तालाप को इंविजिलेटर द्वारा सुना जा सके जो यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार द्वारा दिया गया उत्तर ही स्क्राइब द्वारा उत्तर पुस्तिका में उत्तर देने के चयनित माध्यम में लिखा/इंगित किया जा रहा है।

18.3 इंविजिलेटर सुनिश्चित करेगा कि स्क्राइब उसके द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाले उत्तर के सही होने अथवा सही न होने के संबंध में उम्मीदवार को इंगित करने वाला कोई ऐसा शारीरिक संकेत, ध्वनि या किसी अन्य प्रकार के संवाद का प्रयोग नहीं करेगा। इस प्रकार का कोई प्रयास उम्मीदवार को अयोग्य करार देगा और उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार और स्क्राइब के बीच बातचीत से परीक्षा हॉल में अथवा परीक्षा हॉल/कमरे में बैठे दूसरे उम्मीदवारों की किसी भी तरह से शांति भंग न हो।

18.4 नेत्रहीन उम्मीदवारों को अंकगणित समस्याएँ सुलझाने के लिए टेलर फ्रेम और पेपर के साथ ब्रेल स्लेट के प्रयोग की अनुमति दी जाए और उन्हें परीक्षा हॉल में अपना टेलर फ्रेम और पेपर के साथ ब्रेल स्लेट लाना होगा। आंशिक नेत्रहीन उम्मीदवारों, जो सभी उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्न पत्र को पढ़ने में सक्षम हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर उत्तर को लिखने/निशान लगाने में सक्षम हैं, को परीक्षा हॉल में मैग्नीफाइंग ग्लास के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए लेकिन उन्हें स्क्राइब के मदद की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवार परीक्षा हॉल में अपना मैग्नीफाइंग ग्लास ला सकते हैं। बहरहाल, उन्हें ऐसे नेत्रहीन उम्मीदवारों, जिन्हें स्क्राइब के मदद की जरूरत है, के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ऐसे एक नेत्र वाले सभी उम्मीदवारों और नेत्रहीन उम्मीदवारों जिनकी अपंगता 40% से कम है, उन्हें नेत्रहीन व्यक्ति नहीं समझा जाएगा और स्क्राइब की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा।

18.5 नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र में नक्शा/ग्राफ/सांख्यिकीय आंकड़ा या डायाग्राम/चित्र/ज्यामितीय समस्याएँ आदि का कोई भाग नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र की जरूरत के संबंध में, बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र (ii) में निहित अनुदेशों का अनुसरण किया जाए।

19. मेडिकल जांच: निःशक्त उम्मीदवारों को मेडिकल जांच के लिए भेजते समय (i) भर्ती करने वाले विभाग को मेडिकल मीमो जारी करना होगा जिसमें विभाग, पद की कोटि (ग्रुप सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी) के साथ उनके ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स में स्तर और जांच की जानी वाली निःशकता की कोटि जैसे ओ एल, ओ ए, बी एल, ओ ए एल, ओ एच, बी एच, एच एच, बी एल, एल वी, एम डब्ल्यू आदि का उल्लेख हो। इस मीमो में मेडिकल कोटियों जैसे ए1, ए2 आदि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। जांच करने वाला डॉक्टर इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उम्मीदवार विकलांग कोटा में ओ एल, ओ ए, बी एल, ओ ए एल, ओ एच ..... आदि के अंतर्गत फिट है। यह प्रमाण पत्र ए1/ए2 आदि जैसी किसी मेडिकल कोटि का उल्लेख नहीं करेगा और न ही कर सकता है।

20. ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां निःशक्त उम्मीदवार रेलगाड़ी संचालन/रेल चलाने से संबंधित पदों पर सीधे नियुक्त किए गए हो ये उम्मीदवार अपनी ड्यूटी का कुशलतापूर्वक निर्वहन न कर पा रहा हो या यह उनके और उन यात्रियों के जीवन के लिए खतरा हो, तो ऐसी परिस्थिति में महाप्रबंधक अपने विवेकानुसार (आगे किसी औरों को न सौंपते हुए), जहां कहीं अपेक्षित हो मेडिकल विभाग की राय लेकर ऐसे उम्मीदवारों की कोटि बदल सकते है। ऐसा करते हुये वेतनमान और अन्य सेवा लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

21. निःशक्त उम्मीदवारों के लिए संपर्क अधिकारी: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए नियुक्त सम्पर्क अधिकारी निःशक्त उम्मीदवारों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए सम्पर्क अधिकारियों के रूप में भी कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

22. ओपन मार्केट से भर्ती करते समय, रोज़गार कार्यालय, विशिष्ट रोज़गार कार्यालय, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों तथा राष्ट्रीय स्तरीय पुनर्वास संस्थानों को दिए जाने वाले रोज़गार नोटिस के अलावा ऐसे नोटिसों को रोज़गार समाचार में भी प्रकाशित किया जाना होगा। इसके अलावा, भर्ती एजेंसियाँ जैसे रेल भर्ती बोर्डों/ रेल भर्ती केन्द्रों/रेल प्रशासनों को इन रोज़गार नोटिस/विज्ञापनों को एन आई सी या अन्य साधनों के माध्यम से निःशक्त उम्मीदवारों के सशक्तिकरण विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, निःशक्त उम्मीदवारों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय और आवश्यक समझे गए कोई अन्य मंत्रालय/विभाग की वेबसाइटों पर सभी संबंधितों की सूचना के लिए भी अपलोड करवाया जाए। यह संबंधित भर्ती करने वाली एजेंसियों के वेबसाइटों पर इसे अपलोड करने के अलावा होगा।

कृपया पावती दें।

नीरज कुमार

(नीरज कुमार)
निदेशक स्था.(एन)-II
रेलवे बोर्ड

सं. : ई(एनजी)II/2017/आरसी-2/1 पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक 28.06.2017

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

(i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(ii) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(iii) विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(iv) सैक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेलवे बोर्ड (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(v) सेक्रेटरी, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' आफिसर्स' एसोसिएशन।

(vi) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II आफिसर्स एसोसिएशन।

(vii) सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ।

(viii) सेक्रेटरी, इंडियन रेलवे क्लास II आफिसर्स एसोसिएशन।

(ix) सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन।

(x) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।

(xi) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं.7, रेल भवन, नई दिल्ली।

(xii) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।

(xiii) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आरसीएफ/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड